

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनन-अनुभाग)

संख्या : 650 / 30एम0एम0सी0 / विज्ञप्ति-बालू/मोरम/2026-27 दिनांक: 11/08/2026

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमन्त्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57(सा0)/2017टीसी-1 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक: 14.08.2017 व शासनादेश संख्या-2168/86-2019-57(सा0)/2017 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक: 09.10.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद-झाँसी में नदी तल स्थित बालू/मोरम के निम्नलिखित क्षेत्रों को ई-निविदा सह-ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु एतद्वारा उपलब्ध घोषित किया जाता है:-

1. रिक्त क्षेत्रों का विवरण :-

क्र० सं०	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियो कोआर्डिनेट्स		नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर (₹0 प्रति घा०मी०)	खनन योग्य आकलित उपखनिज की वार्षिक मात्रा (घ०मी०)	प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर के आधार पर उपखनिज की निर्धारित वार्षिक मात्रा की सकल घनराशि (₹0 में)	अर्नैष्टमनी (कालम 12 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत) (रूपये में)	
			तहसील	ग्राम	गाटा सं० / (खण्ड सं०)	क्षेत्रफल (हे० में)	अक्षांश	देशांतर					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11 [9X10]	12	
1	DSR AREA CODE-1524220202								190.00	1,83,000	3,47,70,000.00	86,92,500.00	
	बालू/ मोरम	बेतवा	टहरीली	शमशेरपुरा	1घ	12.140	A	25°42'04.00"					79°00'60.00"
							B	25°42'00.50"					79°01'05.50"
							C	25°41'51.40"					79°01'00.50"
							D	25°41'41.40"					79°00'57.10"
							E	25°41'43.60"	79°00'50.60"				
DSR AREA CODE- 1522540201													
2	बालू/ मोरम	बेतवा	मौठ	देदर	364	4.750	A	25°34'01.80"	78°54'56.50"	190.00	28,500	54,15,000.00	13,53,750.00
							B	25°34'12.80"	78°54'55.40"				
							C	25°34'22.30"	78°54'52.90"				
							D	25°34'22.70"	78°54'55.60"				
							E	25°34'13.50"	78°54'58.20"				
							F	25°34'01.90"	78°54'59.20"				
DSR AREA CODE- 1527180201													
3	बालू/ मोरम	उर	मकरानीपुर	मैलवारा	950,966	14.164	A	25°07'16.28"	79°14'35.97"	190.00	71,000	1,34,90,000.00	33,72,500.00
							B	25°08'18.58"	79°14'56.83"				
							C	25°08'16.65"	79°14'58.47"				
							D	25°07'16.67"	79°14'37.29"				
							E	25°07'20.07"	79°14'33.02"				
							F	25°07'25.04"	79°14'32.36"				
							G	25°07'37.90"	79°14'40.22"				
							H	25°07'57.17"	79°14'42.51"				
							I	25°08'12.67"	79°14'50.45"				
							J	25°08'11.70"	79°14'52.25"				
							K	25°07'58.52"	79°14'35.87"				
							L	25°07'37.33"	79°14'41.77"				
							M	25°07'23.92"	79°14'35.33"				
							N	25°07'20.91"	79°14'35.33"				

2- खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। खनन पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

[Signature]

ई-निविदा सह-ई-नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घनमीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 (यथासंशोधित) के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 190.00 प्रतिघनमीटर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री-बिड अर्नेष्टमनी के रूप में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घनमीटर) को क्षेत्र में आंकलित उपखनिज (बालू/मोरम) की वार्षिक मात्रा (घनमीटर) से गुणा कर प्रथम वर्ष में देय नीलामी की धनराशि आगणित की जायेगी।

- 4- ई-निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्राप्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी करायी जायेगी जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपनी बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
- 5- किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री-बिड अर्नेष्टमनी जमा करना अनिवार्य होगा जिसकी गणना क्षेत्र में खनन योग्य आंकलित वार्षिक मात्रा (घनमीटर) एवं नदी तल स्थित बालू/मोरम के लिए विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 190.00 प्रतिघनमीटर से गुणा कर प्राप्त धनराशि की 25 प्रतिशत होगी।
- 6- एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-निविदा सह ई-नीलामी नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
- 7- इच्छुक आवेदकों के लिए ऑन लाईन बिड/बोली हेतु Class-III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- 8- पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन अधिकतम 02 क्षेत्र या 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बिड में भाग ले सकेंगे, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेष्टमनी एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 के पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करनी होगी। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0 15,000-00 (रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क, एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से, जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
9. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजी गयी सूचना ई-मेल से प्राप्त होगी, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी0एस0टी0 सहित रू0 2,360-00 (रू0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउण्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसकी

पंजीकरण की अवधि वैध है उन्हें पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख तथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

10. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्व प्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
 - (1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।
 - (3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
 - (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह-ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, तथा बैंक का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
 - (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहां इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।
 - (6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।
11. एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं 'ब्लैक लिस्ट' की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-
 - (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
 - (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
 - (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उस चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
 - (4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
 - (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
 - (6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।
 - (7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न की हो।
12. ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।
13. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक ₹0 15,000-00 (₹0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेष्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम के सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

84

14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।
15. जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।
16. अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र या 50 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इन्टेंट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी। नियमावली-1963 में 47वें संशोधन के पूर्व के प्रकरण इस शर्त से आच्छादित नहीं होंगे।
17. ई निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-
- (1) ई निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उप खनिज के लिए प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो सम्बन्धित उप खनिज के लिए नियमावली-2021 की अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
 - (2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-
 - (क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घनमीटर दी गयी दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उप खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो, तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
 - (ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घन मीटर में दी गयी दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उप खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है, तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उप खनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेगें।
 - (ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
 - (घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(5)

- (3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- (5) ई-नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकते हैं। ई-नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी, और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।
- (6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली की प्रक्रिया बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दी जा सकती है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो ई-नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया निम्नलिखित काल योजना के अनुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्रेस विज्ञापित (विज्ञापित का प्रकाशन)	दिनांक: 14/08/2026
प्री-बिड ई.एम.डी. एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई-निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित अर्नेष्ट मनी (ई.एम.डी.) एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 की वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा की जायेगी।
प्रथम चरण में ई-निविदा (ई-टेण्डर की अवधि)	दिनांक: 25/08/2026 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक: 01/09/2026 के सायं 05:00 बजे तक।
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक: 02/09/2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-1 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 02/09/2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-2 पर विज्ञापित क्षेत्र
	दिनांक: 02/09/2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक क्रमांक-3 पर विज्ञापित क्षेत्र
द्वितीय चरण की ई-नीलामी की अवधि	दिनांक: 02/09/2026 को अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक क्रमांक-1 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक: 02/09/2026 को अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक क्रमांक-2 पर विज्ञापित क्षेत्र।
	दिनांक: 02/09/2026 को अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक क्रमांक-3 पर विज्ञापित क्षेत्र।

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :-

- (क) प्रथम चरण की ई-निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य हैं अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।
- (ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।
18. **पट्टे का दिया जाना :-** नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार

4.1

जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन कराने के एक सप्ताह के अन्दर लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19. **अभिलेखों का सत्यापन :-** ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख-सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेष्टमनी) जब्त कर ली जायेगी।

20. **लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-**

- (1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घनमीटर को ई-निविदा/ई-नीलामी की दर रूपया प्रति घन मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
- (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची की तालिका-1 के अनुसार जमा की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ-कोऑर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।
- (5) चयनित आवेदक नियम-35(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा की जायेगी।
- (7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- (8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21. **सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :-**

- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

Handwritten signature

- (2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री-बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुए जमा की जाना होगी। प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/ निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
- (3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22. शर्त :-

- (1) ई निविदा सह-ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र के कोर्डिनेट्स अंकित किया जायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
- (4) पट्टेदार नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकाडिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकाडिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण यथा विक्रय मूल्य सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो भी कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाएँ नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(8)

- (8) नदी की जल धारा में सव्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि प्रस्तावक सक्षम स्तर से अनुमोदित खनन योजना व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने में अकारण विलम्ब करता है तो उसके द्वारा अर्नेष्ट मनी के रूप में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए निर्गत आशय पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
- (14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुये अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित की जा सकेगी।

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
झांसी।
01/

पत्रांक व तददिनांक:

- प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 - 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 3- आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
 - 4- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 लखनऊ।
 - 6- अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), झाँसी।
 - 7- क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी।
 - 8- शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, द्वितीय तल, सेंटर कोर्ट बिल्डिंग, 3/सी, 5 पार्क रोड, सिविल अस्पताल के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
 - 9- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 झाँसी को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति को जिले की वेसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
 - 10- समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
 - 11- जिला सूचना अधिकारी, झाँसी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
 - 12- प्रभारी अधिकारी नजारत, कलैक्ट्रेट, झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

44

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
झांसी।

Digitally signed by ARUN KUMAR GOND
Date: 20 Aug 2026 17:23:43
Jhansi